संख्या-597/2021/4043/41-2021-111(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर 2021**

विषय:- नन्दगांव में रंगीली चौक से नन्द मंदिर तक जाने वाली वैकल्पिक सीढियों के पुनर्निर्माण की योजना हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4083/6-1-1/ब्र0ती0वि0प0(52)/2019 दिनांक 26 अक्टूबर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- नन्दगांव में रंगीली चौक से नन्द मंदिर तक जाने वाली वैकल्पिक सीढियों के पुनर्निर्माण की योजना हेतु चयनित कार्यदायी संस्था मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-211/2019/1735/41-2019-111(बजट)/2019 दिनॉक 13 अगस्त, 2019 द्वारा रू0 240.99 लाख$$$$$+ जी0एस0टी0 की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 120.49 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी । तदनन्तर शासनादेश सं0-71/2021/153/41-2021-111(बजट)/20 दिनांक 03-02-2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0-48.19 लाख एवं शासनादेश सं0-263/2021/978/41-2021-111(बजट)/20 दिनांक 22-03-2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0-94.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई अर्थात् प्रायोजना हेतु कुल रू0-263.59 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक पर्यटन द्वारा प्रायोजना का कार्य अवमुक्त की गई धनराशि से कम धनराशि रू0- 248.56 लाख में ही पूर्ण होने की सूचना दी गई है और रू0-1502510.63 की बचत होने की सूचना दी गई है। यह उल्लिखित है कि उक्त धनराशि को चालान सं0-0700/01/1/600091 दिनांक 6-9-21 के माध्यम से राजकोष में जमा करा दिया गया है।

3- उक्त के दृष्टिगत इस प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू0-22270640.37 + जी0एस0टी0 (रू0-2585849.00 अर्थात् कुल रू0- 248.56 लाख निर्गत करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना के संदर्भ में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध रही धनराशि रू0-1502510.63 पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया गया हो ,तो उसे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजकोष में जमा कराया जायेगा और भविष्य में अन्य परियोजनाओं के संदर्भ में टेण्डर्ड लागत के सापेक्ष ही कुल लागत का आंकलन करते हुये अवशेष धनराशि की मांग प्रस्तुत की जायेगी।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

संख्या-597/2021/978/41-2021-111(बजट)/2019 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी , उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी ,मथुरा ।
6- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता ,मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण,मथुरा।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक,आगरा।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।